संचालनालय, आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी, (आयुष) छत्तीसगढ़

डी. के. एस. परिसर, रायपुर 492001,
फोन नं. (0771) 2221640, फैक्स – 2221641, ईमेल – cgayush@gmail.com

क्रमांक / 1 / स्था. / महा. / प्रवेश / 2022–23 / 924 रायपुर, दिनांक 02 MAR 2023

बी.ए.एम.एस. / बी.एच.एम.एस. / बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रमों में सत्र 2022–23 में राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु चतुर्थ काउंसिलिंग सूचना :–

काउंसिलिंग स्थल :– शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, जी.ई.रोड, रायपुर (छ.ग.)

बी.ए.एम.एस. / बी.एच.एम.एस. / बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम, सत्र 2022–23 में भारत सरकार, आयुष मंत्रालय / भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग / राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली / राज्य शासन से प्राप्त मान्यता / अनुमति तथा संबंधित विश्वविद्यालय (पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर) की सम्बद्धता के आधार पर आयुष महाविद्यालयों के राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु काउंसिलिंग आयोजित है। प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET (UG) 2022 में सम्मिलित एवं पात्र तथा संचालनालय आयुष द्वारा जारी विज्ञापन / सूचना दिनांक 30.11.2022 के अनुसार पंजीकृत **छत्तीसगढ़ के गैर मूल निवासी (अन्य प्रदेश के)** अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित किया जाता है, ऐसे उम्मीदवार जिनका NEET (UG) 2022 की मेरिट सूची में प्राप्तांक निम्नानुसार है वे इस सूचना के आधार पर काउंसिलिंग में अवसर (चान्स) लेने हेतु उपस्थित हो सकते हैं :–

छत्तीसगढ़ के गैर मूल निवासी (अन्य प्रदेश के) अभ्यर्थियों हेतु समय–सारणी

दिनांक	रजिस्ट्रेशन का समय	नीट प्रवेश परीक्षा के कुल प्राप्तांक
04.03.2023 (शनिवार)	प्रातः 10:30 से 12:30 तक	**512 से 119 तक**

नोट :– **दिनांक 01.03.2023 को छत्तीसगढ़ के गैर मूल निवासी (अन्य राज्य के) अभ्यर्थियों हेतु काउंसिलिंग आयोजित की गई थी। उक्त काउंसिलिंग के पश्चात भी आयुर्वेद / होम्योपैथी / योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पाठ्यक्रम की सीटें रिक्त रह गई है।**

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक Ref.No.-BOA/3-A/AACCC/2022 दिनांक 14.02.2023 अनुसार आयुष महविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 04 मार्च 2023 है।

"छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2019" की कंडिका 8(15)(झ) के तहत स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों की प्रावीण्यता सूची समाप्त होने के पश्चात रिक्त रह गई सीटों में प्रावीण्यता सूची के आधार पर गैर स्थानीय निवासी अभ्यर्थी को भारत सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश दिया जा सकता है।

अतः रिक्त रह गई सीटों को दृष्टिगत रखते हुए प्रवेश नियमानुसार छत्तीसगढ़ के गैर मूल निवासी (अन्य राज्य के) अभ्यर्थियों हेतु काउसिलिंग आयोजित की जा रही है।

E:\ UG Counselling 2022-23\2nd Adv\ 1

सभी उम्मीदवार निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होवें, ऐसा न करने पर वे प्रवेश का अवसर खो देंगे :–

1. नीट (यू.जी.) 2022 परीक्षा का प्रवेश–पत्र।
2. नीट (यू.जी.) 2022 की अंकसूची।
3. ऑनलाइन पंजीयन की प्रति।
4. दसवीं की मूल अंकसूची।
5. बारहवीं की मूल अंकसूची।
6. निवास प्रमाण पत्र।
7. अभ्यार्थियों को चिकित्सकीय उपयुक्तता सिद्ध करने के लिये प्रवेश प्राप्त करने के पूर्व अपनी चिकित्सकीय जांच करानी होगी। इस हेतु उन्हें **सिविल सर्जन द्वारा प्रदत्त चिकित्सकीय उपयुक्तता प्रमाण पत्र** प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. अध्ययन में यदि व्यवधान हो तो कारण सहित नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र (गैप सर्टिफिकेट) अनिवार्य है।
9. उपरोक्त दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियों का एक सेट एवं दो पासपोर्ट साईज **फोटो** भी साथ लावें।
10. **रिक्त सीट एवं शुल्क :–**

क्र.	महाविद्यालय का नाम	रिक्त सीटों की संख्या	प्रथम वर्ष का शुल्क
1	छत्तीसगढ़ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, मनकी, राजनांदगांव	5	1,28,315/–
2	भारती आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल पुलगांव चौक दुर्ग	9	1,28,315/–
3	रायपुर होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय, रामकुण्ड, रायपुर	26	66,129/–
4	श्री महावीर प्राकृतिक एवं योग विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय, नगपुरा, दुर्ग	48	62,629/–
	कुल रिक्त सीटें	88	

(1) **उक्तानुसार प्रथम वर्ष का शुल्क संबंधित महाविद्यालय के काउंटर में तत्काल जमा कर प्रवेश लिया जाना अनिवार्य है।**

(2) **काउंसिलिंग के समय पाठ्यक्रम/महाविद्यालय का चयन के उपरांत निर्धारित शुल्क तत्काल जमा न करने पर अभ्यर्थी चयन का अवसर खो देगा।**

(3) **निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण की जानी है, इस हेतु समय की अल्पता को दृष्टिगत रखते हुए प्रवेशित महाविद्यालय के प्रथम वर्ष के सम्पूर्ण शुल्क की राशि तत्काल जमा करना आवश्यक है। अतः निर्धारित शुल्क की व्यवस्था के साथ ही काउंसिलिंग हेतु उपस्थित होवें।**

नोट :–(1) यदि कोई सेमेस्टर एक वर्ष छः माह का है तो अभ्यर्थी से अनुपातिक एक वर्ष छः माह का शुल्क लिया जावेगा।

(2) अभ्यर्थी विभागीय वेबसाईट से चेक लिस्ट (Check list) डाउनलोड कर, उक्त चेक लिस्ट में सभी बिन्दुओं की जानकारी की पूर्ति कर उपस्थित होवें।

(3) काउंसिलिंग में उन्हीं महाविद्यालयों की सीटों पर आबंटन किया जाएगा, जिन्हें भारत सरकार/राज्य शासन से मान्यता/अनुमति तथा संबंधित विश्वविद्यालय (पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर) से संबद्धता/निरंतरता प्राप्त हो गयी है।

(4) आयुष पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु उच्चतम आयु सीमा का अंतिम निर्धारण माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर यायिका क्रमांक SLP(C) 14320/2018 मे पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगी।

(5) काउंसिलिंग की कार्यवाही केन्द्र/राज्य शासन द्वारा समय–समय पर कोविड–19 से बचाव के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों का कठोरता से पालन करते हुए की जावेगी।

(6) प्रवेश एवं काउंसिलिंग से संबंधित अन्य निर्देश/सूचना जैसे सीटों की अद्यतन जानकारी, इत्यादि हेतु नियमित रूप से निर्धारित वेबसाईट का अवलोकन करते रहे।

(7) सभी शासकीय एवं निजी आयुष महाविद्यालयों के आयुष स्नातक पाठ्यक्रमों की सभी सीटों का आबंटन संचालनालय आयुष, रायपुर द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा। अतः किसी व्यक्ति/संस्था/एजेंसी के प्रलोभन में न फंसे।

2/3/23

संयुक्त संचालक
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी,
सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़

← मास्क पहनें, 2-गज की दूरी अपनाएं, साबुन से हाथ धोएं →